



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3920]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 3, 2018/आश्विन 11, 1940

No. 3920]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2018/ASVINA 11, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2018

का.आ. 5099(ब).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 01 अक्टूबर, 2018 को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के गठन की तारीख के रूप में नियत करती है।

[फा. सं. 1/4/2016-सीएल. I-पार्ट]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2018

S.O. 5099(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 1st October, 2018 as the date of constitution of National Financial Reporting Authority.

[F. No. 1/4/2016-CL-I-Part]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.